न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 01/2016

बउनवान

राजस्थान सरकार जरिये शिवजीराम जाट, प्रवर्तन निरीक्षक, बारां जिला—बारां (राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

1—श्री ललित गर्ग पुत्र श्री बाबूलाल गर्ग भूतेश्वर मंदिर के पास अटरू रोड़ बारां जिला—बारां
2—थोक परिवहनकर्ता मै0 क्षितिज समूह सेवा संस्थान नाहरगढ़ तह0 किशनगंज, बारां प्रधान कार्यालय शिवकॉलोनी अस्पताल मार्ग, बारां **(अप्रार्थीगण)**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :—1. पेरोकार रसद **(प्रार्थी)**
2. श्री गजेन्द्र कुमार पंचौली अभिभाषक **(अप्रार्थी कम 1)**
3. श्री हरिओम चर्तुवेदी अभिभाषक **(अप्रार्थी कम 2)**

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

निर्णय दिनांक— 09.05.2022

1— प्रार्थी श्री शिवजीराम जाट, प्रवर्तन निरीक्षक, बारां ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 31.12.2015 को सांय 11.00 बजे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरौ, बारां द्वारा दूरभाष पर प्राप्त सूचना पर हमराह श्री शंकरलाल जिला रसद अधिकारी, बारां भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास अटरू रोड़, बारां स्थित श्री ललित गर्ग पुत्र श्री बाबूलाल गर्ग के गोदाम पर पहुंचे। मौके पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बारां के क्षेत्रीय निरीक्षक श्री नीरज गुप्ता मय जाप्ते के उपस्थित मिले। उक्त गोदाम में मौके पर 76 कट्टे एफ.सी.आई. मार्का की सिलाई के, 227 कट्टे हाथ की सिलाई के गेंहू से भरे हुए तथा 79 खाली कट्टे एफ.सी.आई. मार्का के मिले। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बारां के साथ मौके पर संयुक्त जांच की गई जिसमें उक्त गेंहू एफ.सी. आई. का होना पाया गया तथा गोदाम [illegible] कैकिंग बदलवाया जाना पाया गया। मौके पर गोदाम मालिक श्री ललित गर्ग उपस्थित [illegible] जिससे पूछताछ की गई जिसने मौके पर कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया तथा न [illegible] सम्बन्ध में कोई पत्रादि या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जो उसके द्वारा राशन के [illegible] की कालाबाजारी करने की पुष्टि करता है। मौके पर दौराने जांच उक्त गोदाम में बिना रिकार्ड के व एफ.सी.आई. मार्का व सिलाई के गेंहू के कट्टे पाये जाने से यह प्रमाणित होता है कि उक्त गोदाम मालिक द्वारा राशन के गेंहू की अवैध रूप से खरीद फरोख्त की जाकर नियम विरूद्व कार्य किया जाता है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त गेंहू सार्वजनिक

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.13 12:15:54 IST
Reason: SelfAttested

...ण प्रणाली का होने, तथा अवैध रूप से व्यापार करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 व राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 303 कट्टे गेंहू को जब्त करने की कार्यवाही की गई तथा तत्समय जब्तशुदा 303 कट्टे गेंहू के गोदाम को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सामने ताला लगाकर सील किया गया। दिनांक 02.01.2016 को उक्त गोदाम को रसद विभाग की टीम द्वारा गोदाम पर उपस्थित श्री ललित गर्ग के भाई हरीश गर्ग के सामने गोदाम का ताला व सील खोलकर गेंहू को ट्रक में भरवाकर धर्म कांटे पर तुलवाया गया जिसमें गेंहू का वनज 165.40 क्विं. मय बारदाना पाया गया। उक्त जब्तशुदा गेंहू श्री भगवान सहाय शर्मा उचित मूल्य दुकानदार कलमण्डा की सुपुर्दगी में दिया गया। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6(ए) के तहत जब्तशुदा 165.40 क्विं. गेंहू मय बारदाना को राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण जर्ये अभिभाषकगण उपस्थित हुये तथा पृथक पृथक जवाब अप्रार्थीगण की ओर से निम्नानुसार पेश किये गये।

3— अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से जवाब इस आशय का पेश हुआ कि मोके पर अप्रार्थी ने जब्तशुदा कट्टों के बारे में पूरी बात बता दी कि उपरोक्त गेंहू फर्म मेसर्स रामगोपाल बाबूलाल के हैं जिसक प्रोपराईटर मेरे पिता बाबूलाल जी हैं जिनको बुलाकर में अभी जब्तशुदा गेंहू के बारे में पत्रादि व दस्तावेज पेश करने को तैयार हूं परन्तु रसद विभाग ने एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने अप्रार्थी की एक नहीं सुनी व मनमर्जी से जप्तशुदा गेंहू को राशन के कालाबाजारी करने का मानकर कार्यवाही की है। जप्तशुदा गेंहू किसी भी प्रकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नही है एवं गेंहू की खरीद फरोख्त नियम विरूद्ध नही है बल्कि जप्तशुदा गेंहू के बिल फर्म के हिसाब में है। अतः जप्तशुदा 165.40 क्विं. गेंहू फर्म मेसर्स रामगोपाल बाबूलाल प्रोपराईटर श्री बाबूलाल जी की सुपुर्दगी में दिये जाने एवं लौटाये जाने की कृपा करें।

अप्रार्थी क्रम 2 की ओर से जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रकरण में वर्णित सम्पूर्ण घटना, अन्य अप्रार्थी एवं की गई कार्यवाही से अप्रार्थी क्रम 2 का कोई सरोकार नहीं है। प्रकरण में जप्त की गई सम्पत्ति कहां से व किससे जप्त की गई एवं क्यों जप्त की गई इस बारे में अप्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है न ही कोई सम्बन्ध है। अप्रार्थी संस्था का मुख्य संचालन कार्य परिवहन का है जिसे वह पूर्ण निष्ठा व नियमानुसार संचालित करती है परन्तु कुछ प्रभुत्वशाली व्यक्ति अनावश्यक संस्था ... रखते हैं जिसके कारण संस्था को झूठे आरोप लगाकर अनुचित दबाव ... संस्था को बदनाम करने का प्रयास लम्बे समय से कर रहे हैं। अप्रार्थी ... जानकारी में आया है कि दिनांक 31.12.2015 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा राजनीतिक दबाव में आकर नियमानुसार परिवहन हेतु जा रहे वाहनो को जबरदस्ती ले जाकर अनुचित रूप से झूठा आलिप्त करने के प्रयास किये गये हैं। अतः अप्रार्थी संस्था का नाम प्रकरण से डिलीट फरमावें।

प्रकरण में प्रार्थी बाबूलाल पुत्र श्री रामगोपाल जाति महाजन निवासी दीनदयाल पार्क बारां तह. बारां जिला बारां प्रोपराईटर फर्म रामगोपाल बाबूलाल ग्रेन मर्चेन्ट एवं कमीशन

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.13 12:15:54 IST
Reason: SelfAttested

बहस के दौरान प्रार्थी पेरोकार रसद ने इस्तगासा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जब्तशुदा गेंहू 165.40 क्विं. मय बारदाना का अंतरिम निस्तारण श्रीमान् के आदेशानुसार किया जाकर प्राप्त राशि अमानत मद में जमा करवाई जा चुकी है। अतः प्रकरण में जप्तशुदा गेहूँ वजनी 165.40 क्विंटल मय बारदाना को धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

6— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते निवेदन किया कि जप्तशुदा गेंहू अप्रार्थी के पिता की फर्म मेसर्स रामगोपाल बाबूलाल प्रोपराईटर बाबूलाल का है जिसकी खरीद व बिक्री के बिल बिल्टी आदि उन्होने पृथक से सुपुर्दगी बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये हैं। अतः अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमाकर जप्तशुदा गेंहू प्रार्थी बाबूलाल पुत्र रामगोपाल जाति महाजन निवासी दीनदयाल पार्क, बारां प्रोपराईटर मेसर्स रामगोपाल बाबूलाल ग्रेन मर्चेन्ट एण्ड कमीशन एजेन्ट की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश प्रदान करें।

7— अभिभाषक अप्रार्थी की बहस के जवाब में पेरोकार रसद ने जवाब प्रार्थना पत्र बाबत सुपुर्दगी गेंहू में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि यदि जब्तशुदा उक्त गेंहू प्रार्थी श्री बाबूलाल के स्वामित्व का था तो अप्रार्थी क्रम 1 ने दौराने मौका जांच व जप्ती के समय उक्त दस्तावेजात क्यों नहीं पेश किये तथा अपने जवाब के साथ भी अप्रार्थी क्रम 1 ने उक्त दस्तावेजात पेश नहीं किये बाद में प्रार्थी बाबूलाल ने यह कूटरचित दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये हैं जो मान्य किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रकरण में जप्तशुदा गेहूँ वजनी 165.40 क्विंटल मय बारदाना को धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

8— हमने पेरोकार रसद, अप्रार्थी अभिभाषक व प्रार्थी बाबूलाल के अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां हमराह श्री शंकरलाल जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास अटरू रोड़ बारां में पहूँचकर दिनांक 31.12.2015 को मौके पर जॉच करने पर पाया कि "जप्त गेहूँ वजनी 165.40 क्विंटल मय बारदाना को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेंहू एफ.सी.आई. के मशीन से सिले हुए एवं हाथ से सिले हुए 303 कट्टों में भरा हुआ था को राजसात करने हेतु इस्तगासा पेश किया है, जो उचित प्रतीत होता है।

9— परिणामस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा गेंहू 165.40 क्विं. मय बारदाना को राजसात [illegible] जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को आदेश दिये जाते है कि जब्तशुदा गेंहू की राजसात [illegible] अमानत मद में जमाशुदा राशि विभागीय नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय को [illegible] विभागीय मद में जमा करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.13 12:15:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 09.05.2022 को [illegible] इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलैक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर बारां (राज०)